सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 25/03/2019

File No. BL/26/2019/STGMP/DELAAL/RU-III

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   राजस्व विभाग, मंत्रालय,
   वल्लभ भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. कलेक्टर,
   जिला विदिशा,
   (म.प्र.)

3. पुलिस अधीक्षक,
   जिला विदिशा,
   (म.प्र.)

विषयः दिनांक 28–02–2019 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा एसडीएम शमशाबाद राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश, एसडीओ, जिला विदिशा मध्य प्रदेश के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 28–02–2019 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
25/3/2019
(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री बाबू लाल पुत्र दुल्ली आदिवासी,
   ग्राम सतपाड़ाहाट, तहसील शमशाबाद,
   जिला विदिशा (म.प्र.)
2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- BL/26/2018/STGMP/DELAAL/RU - III)

ग्राम सतपाड़ा हाट के आदिवासियों के पट्टे की भूमि पर कल्लू खां, पुत्र निरपत खां, निवासी लखार द्वारा जबरन कब्जा किए जाने, भूमि हड़पने एवं जान से मारने की धमकी देने के बाबत- श्री बाबु लाल, पुत्र- दुल्ली आदिवासी, ग्राम- सतपाड़ा हाट, तहसील- शमशाबाद, जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 24/05/2018 को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2019 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 28.02.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री बाबु लाल, पुत्र- दुल्ली आदिवासी, ग्राम- सतपाड़ा हाट, तहसील- शमशाबाद, जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश द्वारा आदिवासियों की पट्टे की भूमि पर कल्लू खां, पुत्र निरपत खां द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अभ्यावेदन दिया गया था।
2. मामले में आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए दिनांक 24.05.2018 को जिला कलेक्टर विदिशा और पुलिस अधीक्षक विदिशा को नोटिस भेजी गई थी।
3. संबंधित विभाग द्वारा जवाब प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 30.07.2018 को आयोग द्वारा स्मरण पत्र भेजा गया था।
4. विभाग द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं होने पर माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 28.02.2019 को 11.30 बजे सिटिंग निर्धारित की गई तथा इस संबंध में राजस्व सचिव, जिला कलेक्टर (विदिशा), पुलिस अधीक्षक (विदिशा) को दिनांक 14.02.2019 को सिटिंग नोटिस भेजी गई।
5. मामले में दिनांक 27.02.2019 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, शमशाबाद जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि तत्कालीन नायब तहसीलदार शमशाबाद के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नाधीन भूमियों पर जावेद खां पुत्र निस्पत खां. निवासी ग्राम लखार का कब्जा होना पाया गया था।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

6. उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 14.05.2018 को उभयपक्ष की उपस्थिति में कराया गया तथा सीमा चिह्न कायम कर आवेदकगण को कब्जा सौंपा गया। ग्राम- सतपाड़ा हाट के सर्वे क्रमांक 217/2/1 रकबा 1.104 हेक्टेयर शासकीय पट्टेधारी बाबूलाल, पुत्र- दुल्ली आदिवासी को उनकी भूमि का सीमांकन कर मौके पर कब्जा सौंपा गया।

7. बैठक में आयोग ने पहले अभ्यावेदक का पक्ष जानना चाहा, आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि आदिवासियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1965 में 9.908 हेक्टेयर जमीन का पट्टा दिया गया था। जिस पर कल्लू खां पुत्र निरपत खां द्वारा कब्जा कर लिया गया। बाबूलाल दोनों आंखों से अंधा है और चलने-फिरने में भी असमर्थ है। मामले में तहसीलदार शमशाबाद और कलेक्टर विदिशा द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई।

8. बैठक में उपस्थित मध्यप्रदेश शासन के अधिकारी एसडीएम शमशाबाद व एसडीओ(पी) द्वारा बताया गया कि तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा जांच में अन्य लोगों का कब्जा पाया गया था। जिसे उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमांकन कराकर आवेदकों को सौंप दिया गया है। इससे संबंधित दस्तावेज भी विभागीय जवाब में आयोग को सौंपा गया है।

9. अभ्यावेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि अभी तक कब्जा नहीं मिला है। प्रशासन द्वारा दिखावटी कार्रवाई की गई थी। तहसीलदार द्वारा अभ्यावेदक को थाने में ले जाकर सादे कागज पर दस्तखत करा लिया गया और कहा गया कि तुम शांत रहना। जमीन अभी भी कल्लू खां के कब्जे में है तथा उस पर उसकी फसल भी लगी हुई है।

आयोग ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निम्नलिखित अनुशंसा की : -

(i) अनुमंडलीय प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जमीन पर आवेदक के कब्जे की जांच की जाए।

(ii) प्रशासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर जमीन को अवैध दखल से मुक्त कराकर आवेदक को जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलाई जाए और इस संबंध में कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट से आयोग को 1 माह के अंदर अवगत कराया जाए।

Anusuiya 14/3/19

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- BL/26/2018/STGMP/DELAAL/RU - III)

ग्राम सतपाड़ा हाट के आदिवासियों के पट्टे की भूमि पर कल्लू खां, पुत्र निरपत खां, निवासी लखार द्वारा जबरन कब्जा किए जाने, भूमि हड़पने एवं जान से मारने की धमकी देने के बाबत- श्री बाबु लाल, पुत्र- दुल्ली आदिवासी, ग्राम- सतपाड़ा हाट, तहसील- शमशाबाद, जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 24/05/2018 को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2019 को आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

(अ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(1.) सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष

(2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक

(3.) श्री गौरव कुमार, माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव

(4.) आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक

(ब) राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अधिकारी

(1) श्री अनिल सोनी, एसडीएम शमशाबाद

(स) पुलिस अधीक्षक, विदिशा के अधिकारी

(1) श्री पी. एस. परस्ते, एसडीओ(पी)